[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, subsection (ii)]

Government of India Ministry of Corporate Affairs

ORDER

New Delhi, the 29th June, 2017.

S.O. __ (E). - Whereas clause (c) of sub-section (1) of section 434 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the 2013 Act) provides that on a date which may be notified by the Central Government for the purpose of transfer of pending proceedings, all proceedings under the Companies Act, 1956 (hereinafter referred to as the 1956 Act) including proceedings relating to arbitration, compromise, arrangements and reconstruction and winding up of companies, pending immediately before such date before any District Court or High Court, shall stand transferred to the Tribunal and the Tribunal may proceed to deal with such proceedings from the stage before their transfer;

And, whereas, the proviso to the said clause (c) provides that only such proceedings relating to the winding up of companies shall be transferred to the Tribunal that are at a stage as may be prescribed by the Central Government;

And, whereas, the said clause (c) of sub-section (1) of section 434 of the 2013 Act has come into force from the 15th December, 2016;

And, whereas, in pursuance of the third proviso to the said clause (c), as inserted by S.O. 3676 (E) dated 7th December, 2016, the proceedings relating to winding up of companies which have not been transferred from the High Courts shall be dealt with in accordance with provisions of the 1956 Act and the Companies (Court) Rules, 1959;

And, whereas, in accordance with the said third proviso read with rule 4 of Companies (Transfer of Pending Proceedings) Rules, 2016, all applications and

petitions relating to voluntary winding up of companies pending before a High Court as on 1st April, 2017 shall continue with and dealt with by the High Court in accordance with provisions of the 1956 Act;

And, whereas, provisions of section 59 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (hereinafter referred to as the Code) which provide for voluntary winding up have been brought into force on 1st April, 2017;

And, whereas, provisions of sections 304 to 323 of the 2013 Act, which sought to replace the corresponding provisions of the 1956 Act, were omitted by the Code;

And, whereas, difficulties have arisen regarding transfer of proceedings relating to those cases of voluntary winding-up of a company where notice of the resolution by advertisement has been given under sub-section (1) of section 485 of the 1956 Act but the company has not been dissolved before the 1st April, 2017, since the Code provides for a substantially different framework for persons who may be appointed as liquidators and for making of an application for dissolution by the liquidator. While under the 1956 Act, any person could be appointed as a liquidator, only an insolvency professional registered with the Insolvency and Bankruptcy Board of India can be appointed as a liquidator subject to certain conditions. Further, under the 1956 Act, liquidator is required to make a report to the Official Liquidator who, in turn, makes a report to the High Court for dissolution of the company, whereas under the Code, the liquidator is required to make an application for dissolution directly to the Tribunal;

And, whereas, re-appointment of liquidators by companies which had passed resolutions for voluntary winding up under the 1956 Act before 1st April, 2017 and making of report by the Official Liquidators to the High Court (wherein reports have been made by liquidators to the Official Liquidators) would create difficulties;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 470 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order to remove the above said difficulties, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Order, 2017.

(2) It shall come into force with effect from the 29th day of June, 2017.

2. In the Companies Act, 2013, in section 434, in sub-section (1), in clause (c),-

(a) in the third proviso, for "Provided further that-", the following shall be substituted, namely:-

"Provided also that-";

(b) after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that proceedings relating to cases of voluntary winding up of a company where notice of the resolution by advertisement has been given under sub-section (1) of section 485 of the Companies Act, 1956 but the company has not been dissolved before the 1st April, 2017 shall continue to be dealt with in accordance with provisions of the Companies Act, 1956 and the Companies (Court) Rules, 1959.".

[F. No. 16/61/2016-Legal]

Amardeep S. Bhàtia)

Joint Secretary to the Government of India.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, तारीखः 29 जून, 2017

का.आ. (अ) कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 2013 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 434 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यह उपबंधित है कि उस तारीख को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा लंबित कार्यवाहियों के अंतरण के प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाए, कंपनी अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1956 का अधिनियम कहा गया है) के अधीन सभी कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत मध्यस्थता, समझौते, ठहराव और पुनर्संरचना तथा पिरसमापन से संबंधित कार्यवाहियां भी हैं, जो उस तारीख से ठीक पूर्व किसी जिला न्यायालय उच्च न्यायालय में लंबित है, अधिकरण को अंतरित हो जाएंगी और अधिकरण उन कार्यवाहियों के संबंध में उनके अंतरण के प्रक्रम से कार्यवाही कर सकेगा;

और, उक्त खंड (ग) के परंतुक में यह उपबंधित है कि कंपनियों के परिसमापन से संबंधित केवल ऐसी कार्यवाहियां अधिकरण को अंतरित की जाएंगी, जो ऐसे प्रक्रम पर हों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए;

और, 2013 के अधिनियम की धारा 434 की उपधारा (1) का उक्त खंड (ग) तारीख 15 दिसंबर, 2016 से प्रवृत्त ह्आ है;

और, तारीख 07 दिसंबर, 2016 के का.आ.3676(अ) द्वारा यथा अंतःस्थापित उक्त खंड (ग) के तीसरे परंतुक के अनुसरण में कंपनियों के परिसमापन से संबंधित ऐसी कार्यवाहियों में, जिन्हें उच्च न्यायालयों से अंतरित नहीं किया गया है, 1956 के अधिनियम और कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

और, कंपनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 के नियम 4 के साथ पठित उक्त तीसरे परंतुक के अनुसार, 01 अप्रैल, 2017 को किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कंपनियों के स्वैच्छिक परिसमापन के सभी आवेदन और याचिकाएं जारी रहेंगी और उन पर उच्च न्यायालय द्वारा 1956 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी;

और, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 59 के उपबंध, जिनमें स्वैच्छिक परिसमापन के संबंध में उपबंधित है, तारीख 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त किया गया है;

और, 2013 के अधिनियम की धारा 304 से धारा 323 तक के उपाबंधों, जो 1956 के अधिनियम के तत्स्थायी उपबंधों को प्रतिस्थापित करने के लिए हैं, का इस संहिता द्वारा लोप किया गया था;

और, किसी कंपनी के स्वैच्छिक समापन के उन मामलों से संबंधित कार्यवाहियों के अंतरण के संबंध में भी कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं, जहां 1956 के अधिनियम की धारा 485 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञापन द्वारा संकल्प की सूचना दी गई है परंतु 01 अप्रैल, 2017 से पहले कंपनी को विघटित नहीं किया गया है क्योंकि इस संहिता में ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें समापक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, के लिए और समापक द्वारा विघटन के लिए आवेदन करने के लिए काफी अलग ढांचे का उपबंध है। 1956 के अधिनियम के अधीन, कोई भी व्यक्ति समापक के रूप में नियुक्त किया जा सकता था, अब केवल भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत किसी दिवाला व्यावसायिक को ही कुछ शर्तों के अधीन समापक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 1956 के अधिनियम के अधीन समापक को शासकीय समापक को रिपोर्ट करना अपेक्षित है, जो आगे कंपनी के विघटन के लिए उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करता है जबकि संहिता के अधीन, समापक के लिए विघटन हेतु सीधे अधिकरण को आवेदन करना अपेक्षित है;

और, ऐसी कंपनियों द्वारा समापकों की पुनर्नियुक्ति से, जिन्होंने तारीख 01 अप्रैल, 2017 से पहले 1956 के अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन के लिए संकल्प पारित किया था और शासकीय समापकों द्वारा उच्च न्यायालयों (जिसमें रिपोर्ट समापकों द्वारा शासकीय समापकों को दी गई हैं) को रिपोर्ट करने से कठिनाइयां उत्पन्न होंगी;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 470 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर कथित कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्ः-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2017 है।
- (2) यह तारीख 29 जून, 2017 को प्रवृत्त होगा।
- 2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 की उपधारा (1) के खंड (ग) में-
- (क) तीसरे पंरतुक में, "परंतु यह और कि " के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

"परंतु यह भी कि - "।

(ख) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"परंतु यह भी कि किसी कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन के मामलों से संबंधित कार्यवाहियां कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार वहां जारी रहेंगी जहां कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 485 की उपधारा (1) के अधीन संकल्प की सूचना विज्ञापन द्वारा दी गई है किंतु कंपनी का विघटन 01 अप्रैल, 2017 से पहले नहीं हुआ था।"

[फा.सं. 16/61/2016-लीगल]

अभरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव